निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 80 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, काशीपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, काशीपुर के माह 12/2016 से 12/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर. एन. यादव, श्री राजेश डोभाल सहायक लेखा परीक्षा अ धकारियों तथा श्री नन्दन भण्डारी, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 18/01/2018 से 29/01/2018 तक श्री अ मत कुमार, सहायक महालेखाकार के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री राजेश कुमार सन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री अक्षय रूडोला, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 19/12/2016 से 30/12/2016 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव, लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 01/2016 से 11/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी।

   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2016 से 12/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः जनपद ऊधम संह नगर के वधान सभा क्षेत्र बाजपुर, काशीपुर, जसपुर व गदरपुर के आं शक भाग में मार्ग/भवन/सेतु कार्य।

(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रां भक अवशेष		स्थापना		गैरस्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन	व्यय	प्राप्ति	व्यय		
2014-15	-	-	6.03	6.03	67.87	67.87	-	-
2015-16	-	-	6.12	6.12	90.70	90.70	-	-
2016-17	-	-	6.65	6.65	38.30	38.30	-	-
2017-18	-	-	7.49	5.88	23.34	17.35	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त ` (लाख)	व्यय (+) ` लाख	बचत (-) ` लाख
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई **A** श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव, उत्तराखण्ड शासन, लो॰ नि॰ व॰
प्रमुख अ भयन्ता/वभागाध्यक्ष, लो॰ नि॰ व॰, उत्तराखण्ड
मुख्य अ भयन्ता, लो॰ नि॰ व॰, हल्द्वानी
अधीक्षण अ भयन्ता, , लो॰ नि॰ व॰, रुद्रपुर
अ धशासी अ भयन्ता, लो.नि. व., काशीपुर

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, काशीपुर को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण

खण्ड, लोक निर्माण वभाग, काशीपुर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। बाजपुर में जैतपुर बरखेड़ी मार्ग का पुननिर्माण कार्य का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन लेखापरीक्षा अव ध में सर्वा धक व्यय कार्य के आधार पर कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अ भयन्ता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक 18/12/2017 से 23/12/2017 का निरीक्षण कया गया।
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवा र्षक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखे की वा र्षक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2017 तथा 09/2017 तक की गई।
5. फार्म 51: माह 12/2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथमः 3465434/-

   भाग द् वतीयः 185470/-
6. खण्ड के उच्चन्त लेखों के अवशेष माह 12/2017 के अन्त में

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम 1879010/-

   (ख) सामग्री क्रय शून्य

   (ग) नगद परिशोधन शून्य

   (घ) निक्षेप 25652760/-

   (ङ) भण्डार 7853935/-

भाग –2(अ)

प्रस्तर 1–कार्य की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही निविदा आमंत्रित करना, धनराशि रू0 250.46 लाख का व्यावर्तन तथा निष्पादित कार्य के लिये देय रायल्टी रू0 50.81 लाख की वसूली ठेकेदार के बिल से नही किया जाना।

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र बाजपुर के अन्तर्गत जगन्नाथपुर से कोसीफार्म तक मार्ग का पुनः निर्माण कार्य (लम्बाई 7.0 कि0मी0)की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या : 2703 / ।।।(2) / 12–07(प्रा0आ0) / 2012 दिनांक 26.10.2012 के द्वारा लम्बाई 7.00 किमी0 व लागत रू0 1291.85 लाख की प्राप्त हुयी थी। उक्त कार्य की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता(कु0क्षे0), लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा पत्रांक : 2846(11) / 1003 याता0–कु0 / 2012 दिनांक 15–03–2013 के माध्यम से लागत रू0 1291.85 लाख की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त कार्यनिष्पादन हेतु अनुबन्ध संख्याः 02/SE- 04/2013 Dated 04.04.2013 ठेकेदार– मै0 वुडहिल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमि0, डी–42, आर0डी0सी0, राजनगर, गाजियाबाद के साथ गठन किया गया, जिसके अनुसार अनुबन्धित लागत रू0 103355839.14 एवं आगणित लागत रू0 124300468.00 थी तथा कार्य प्रारम्भ की तिथि 04.04.2013 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 03.10.2014 थी, Progress Chart के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि से 18 माह में पूर्ण किया जाना था।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, काशीपुर के अभिलेखों की नमूना जांच (माह 01 / 2018) में पाया गया कि :

- कार्य की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता(कु0क्षे0), लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा पत्रांक : 2846(11) / 1003 याता0–कु0 / 2012 दिनांक 15–03–2013 के माध्यम से लागत रू0 1291.85 लाख की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। जबकि कार्य निष्पादन हेतु निविदा अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लो0नि0वि0, हल्द्वानी के पत्रांकः 5043 / 23 एम0–04 / 12 द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही दिनांक 24.12.2012 को आमन्त्रित की गयी।

- Progress Chart के अनुसार कार्य को प्रारम्भ की तिथि(04.04.2013) से 18 माह में पूर्ण किया जाना था परन्तु कार्य को बिलम्ब से उसकी समाप्ति की तिथि (03.10.2014) के 21 माह पश्चात दिनांक 30.06.2016 तक कार्य को पूर्ण किया गया।
- कार्य पर फार्म–64 के अनुसार कुल रू0 1287.84 लाख का व्यय भारित किया गया था, जबकि गठित अनुबन्ध के सापेक्ष भुगतान बाउचर सं0 99 दिनांक 09.03.2017 के अनुसार मात्र रू0 992.45 लाख का व्यय किया गया था तथा कार्य हेतु आकस्मिक व्यय के लिये रू0 44.93 लाख का प्राविधान था, इस प्रकार उक्त में अन्तर की धनराशि रू0 250.46 लाख{1287.84–(992.45+44.93)=250.46} का अन्य कार्यो/मदों का व्यय व्यावर्तित कर कार्य पर भारित किया गया।
- कार्य निष्पादन में अन्तिम देयक बाउचर संख्या 99 दिनांक 09.03.2017 रायल्टी विवरण के अनुसार 56456.71 cum मात्रा उपखनिज को प्रयुक्त किया गया था, जिसका तत्समय लागू दर रू0 90/घनमी0 से रायल्टी रू0 5081103.90 देय थी। रायल्टी का प्रत्येक भुगतान बिल से यदि ठेकेदार द्वारा रायल्टी भुगतान की रसीद नही दिया जाता है तो अविलम्ब कटौती की जानी चाहिये जिससे राजस्व का समय से वसूली हो सके परन्तु अभिलेखो के अवलोकन में पाया गया कि कार्य के लिये कोई भी रायल्टी की कटौती खण्ड द्वारा नही की गयी थी, जबकि ठेकेदार द्वारा प्रयुक्त उपखनिज मात्रा के लिए रायल्टी भुगतान की कोई भी रसीद खण्ड को नही दिया गया था तथापि ठेकेदार के बिलों से देय रायल्टी रू0 50.81 लाख की कटौती नही की गयी।

उक्त के सन्दर्भ में इंगित किये जाने पर खण्ड ने तथ्यों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया कि जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय जनता द्वारा मार्ग का पुनः निर्माण शीघ्रातिशीघ्र कराये जाने की मांग की गई अन्यथा की स्थिति में उग्र आन्दोलन की चेतावनी दी गई थी प्रकरण की महत्ता को देखते हुये निविदा आमन्त्रित की गयी, अन्तर की धनराशि (रू0 250.46 लाख) से तत्कालीन मा0 मंत्री महोदय सिंचाई, राजस्व, ग्रामीण अभियन्त्रण, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र बाजपुर में विभिन्न मार्गो का पुनः निर्माण एवं मार्ग में रोड साईनेज व विविध व्यय भारित किया गया तथा रायल्टी के सम्बन्ध में अवगत कराया गया

कि ठेकेदार द्वारा कार्य में प्रयुक्त उपखनिज मात्रा के लिये उनके द्वारा जिस स्टोन क्रेशर से उपखनिज क्रय किया गया है उसके प्रपत्र एवं प्रयुक्त उपखनिज का रायल्टी भुगतान किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। खण्ड का उत्तर मान्य नही था क्योकि कार्य की निविदा प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही दिनांक 24.12.2012 को आमन्त्रित की गयी, अन्य कार्यो/मदों का व्यय धनराशि रू0 250.46 लाख व्यावर्तित कर बिना स्वीकृति प्राप्त किये इस कार्य पर भारित किया गया तथा कार्य के लिये कोई रायल्टी की कटौती भुगतान वाउचरों से नही की गयी थी और ठेकेदार द्वारा रायल्टी भुगतान किये जाने का कोई रसीद/रवन्ना खण्ड को प्रस्तुत नही किया गया था।

अतः कार्य की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही निविदा आमंत्रित करने, धनराशि रू0 250.46 लाख का व्यावर्तन तथा निष्पादित कार्य के लिये देय रायल्टी रू0 50.81 लाख की वसूली ठेकेदार के बिल से नही किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग –2(ब)

प्रस्तर 1 –कार्य की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही निविदा आमंत्रित करना, धनराशि रू0 147.48 लाख का व्यावर्तन तथा निष्पादित कार्य के लिये देय रायल्टी रू0 36.59 लाख की वसूली ठेकेदार के बिल से नही किया जाना।

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उधमसिंहनगर में विधानसभा क्षेत्र बाजपुर में जैतपुर बरखेडी मार्ग का पुनः निर्माण कार्य (लम्बाई 4.500 कि0मी0) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या : 1144 / ।।।(2) / 16–64(एम0एल0ए0) / 2015 टी0सी0 दिनांक 22.03.2016 के द्वारा लम्बाई 4.500 किमी0 व लागत रू0 716.98 लाख की प्राप्त हुयी थी। उक्त कार्य की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी द्वारा पत्रांक : 3087 / 01 याता–हल्द्वानी / 2016 दिनांक 27–05–2016 के माध्यम से लागत रू0 713.93 लाख की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। कार्य केनिष्पादन हेतु अनुबन्ध संख्याः 16/SE- 04/2016 Dated 14.09.2016 ठेकेदार– मै0 प्रशान्त बिल्डटैक प्रा0 लि0 डी–42, आर0डी0सी0, राजनगर, गाजियाबाद के साथ गठन किया गया, जिसके अनुसार अनुबन्धित लागत रू0 61546426.00 एवं आगणित लागत रू0 63882131.00 थी तथा कार्य प्रारम्भ की तिथि 14.09.2016 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 13.09.2017 थी, Progress Chart के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि से 12 माह में पूर्ण किया जाना था, परन्तु कार्य को उसकी समाप्ति की तिथि 13.09.2017 के 04 माह व्यतीत होने के पश्चात भी लेखापरीक्षा तिथि तक कार्य को पूर्ण नही किया गया था।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, काशीपुर के अभिलेखों की नमूना जांच (माह 01 / 2018) में पाया गया कि :

- कार्य की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी द्वारा पत्रांक : 3087 / 01 याता–हल्द्वानी / 2016 दिनांक 27–05–2016 के माध्यम से लागत रू0 713.93 लाख की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जबकि कार्य निष्पादन हेतु निविदा अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लो0नि0वि0,

उधमसिंहनगर के पत्रांकः 1132/23 एम0–04/2016 द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही दिनांक 31.03.2016 को आमन्त्रित की गयी।

- कार्य पर फार्म–64 के अनुसार माह 12/2017 तक कुल रू0 425.63 लाख का व्यय भारित किया गया था, जबकि गठित अनुबन्ध के सापेक्ष भुगतान बाउचर के अनुसार कुल रू0 573.11 लाख का व्यय किया गया था। इस प्रकार उक्त कार्य के व्यय (अन्तर की धनराशि रू0 147.48 लाख) को व्यावर्तित कर अन्य पर भारित किया गया।
- कार्य के सातवें चलित देयक बाउचर संख्या 32 दिनांक 10.11.2017 के अनुसार कार्य पर 23761.86 cum मात्रा उपखनिज को प्रयुक्त किया गया था (इसमें Earth work की मात्रा सम्मिलित नही थी) जिसका लागू दर रू0 154/घनमी0 से रायल्टी रू0 3659326.44 देय होती है। रायल्टी का प्रत्येक भुगतान बिल से अविलम्ब कटौती की जानी चाहिये जिससे राजस्व का समय से वसूली हो सके परन्तु लेखापरीक्षा तिथि (01/2018) तक ठेकेदार के बिलों से भुगतान करते समय देय रायल्टी की धनराशि रू0 36.59 लाख की कटौती नही की गयी थी जबकि ठेकेदार द्वारा रायल्टी भुगतान किये जाने का कोई रसीद खण्ड को प्रस्तुत नही किया गया था।

उक्त के सन्दर्भ में इंगित किये जाने पर खण्ड ने तथ्यों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया कि मार्ग की स्थिति अत्यधिक जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होने के कारण स्थानीय जनता द्वारा मार्ग निर्माण हेतु आन्दोलन किया जा रहा था, कार्य की महत्ता एवं जनाक्रोश को देखते हुए मार्ग निर्माण हेतु तुरन्त निविदा आमन्त्रित करनी पड़ी, त्रुटिवश इस कार्य में पड़ने वाला खर्चा किसी अन्य मद में चार्ज हो जाने के कारण फार्म–64 एवं वाउचर में अंकित

धनराशि में भिन्नता है जिसे अनुबन्ध के अंतिमीकरण से पूर्व ठीक कर लिया जायेगा तथा रायल्टी के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा क्रेशरों से उपखनिज प्राप्त कर क्रेशर से प्राप्त प्रपत्र मय शपथपत्र के प्रस्तुत करते है, ठेकेदार द्वारा इस मार्ग में प्रयुक्त उपखनिज की रायल्टी के प्रपत्र एवं सर्टीफिकेट जमा कर दिये है अतः सरकारी राजस्व की कोई हानि नही हुई। खण्ड का उत्तर मान्य नही था क्योकि कार्य की निविदा प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही दिनांक 31.03.2016 को आमन्त्रित की गयी, कार्य पर किये गये व्यय धनराशि रू0 147.48 लाख को व्यावर्तित करते हुये अन्य मदो पर भारित किया गया था क्योकि भुगतान बाउचर में फार्म–64 से रू0 147.48 लाख अधिक भुगतान प्रदर्शित हो रहा था तथा कार्य के लिये कोई रायल्टी की कटौती भुगतान वाउचरों से नही की गयी थी और ना ही ठेकेदार द्वारा रायल्टी भुगतान किये जाने का कोई रसीद/रवन्ना खण्ड को प्रस्तुत किया गया था जबकि राजस्व को समय से वसूली किया जाना चाहिये।

अतः कार्य की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही निविदा आमंत्रित करने, धनराशि रू0 147.48 लाख का व्यावर्तन तथा निष्पादित कार्य के लिये देय रायल्टी रू0 36.59 लाख की वसूली ठेकेदार के बिल से नही किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 1: दो वर्ष से अ धक का समय व्यतीत होने के पश्चात भी 'रोड कटिंग चार्जेस' से प्राप्त धनरा श का सुदुपयोग न कया जाना।

लोक निर्माण वभाग द्वारा बनाये गए मोटर मार्गों पर यदि कोई सरकारी/ प्राइवेट संस्थान जैसे/जल निगम, दूरसंचार की कंपनी आदि के द्वारा मोटर मार्गों पर केबल / पाइप लाइन बिछाने के लए मोटर मार्गों पर जो कटिंग का कार्य कया जाता है, उसके एवज में मार्गों पर कटिंग वाले स्थानों पर मरम्मत कराने हेतु 'रोड कटिंग चार्जेस' के रूप में धनरा श संबन्धित वभाग दुवारा खण्ड को प्रदान की जाती है।

अ धशासी अ भयंता निर्माण खंड, लोक निर्माण वभाग, काशीपुर के लेखा अ भलेखों की जांच में पाया गया क डपॉज़िट रजिस्टर 2015-16 के अनुसार 'रोड कटिंग चार्जेस' के मद मे जनवरी 2016 मे भारती एयरटेल एवं रिलायंस से कुल ` 11,73,812.00 की धनरा श खंड को प्राप्त हुई थी। जिसमे से रिलायंस द्वारा क्षतिग्रस्त कए गए मार्ग पर कुल ` 2,98,470.00की धनरा श खर्च की गयी। एवं अवशेष धनरा श ` 8,75,342.00 अति थ तक खर्च नही की गयी हैं चूं क 'रोड कटिंग चार्जेस' मार्गो पर कटिंग वाले स्थानो पर मरम्मत करने हेतु वभाग को दी जाती हैं। अत: उक्त धनरा श से कटिंग करने वाले स्थानो की मरम्मत मे व्यय की जानी चाहिए थी।

इस संबंध मे खंड द्वारा अवगत कराया गया क खंड द्वारा खर्च कए गए ` 2,98,470.00से केवल अतिआवश्यक मरम्मत का कार्य कराया गया हैं। शेष कार्य के लए नि वदाये आमंत्रित की जा रही हैं। खंड का उत्तर मान्य नही हैं क्यो क 01/2016 मे 'रोड कटिंग चार्जेस' की धनरा श प्राप्त होने के दो वर्ष से अ धक का समय व्यतीत होने के पश्चात भी अभी तक केवल अतिआवश्यक मरम्मत का कार्य कया गया हैंएवं
नि वदाए आमंत्रित की जा रही हैं।
अतः 'रोड कटिंग चार्जेस' से प्राप्त धनरा श का दो वर्षो के पश्चात भी सुदुपयोग न कए जाने का प्रकरण सज्ञान मे लाया जाता हैं।

प्रस्तर 2:- ` 14.50 लाख की धनरा श शासन को समर्पण नही कया जाना।

अ धशासी अ भयंता निर्माण खंड, लोक निर्माण वभाग, काशीपुर के लेखा अ भलेखो की जांच मे पाया गया क खण्ड द्वारा निक्षेप मद भाग- V मे भू म प्रतिकर की कुल धनरा श ` 14,50,005.00 करीब 10 वर्षो से बांटी नही गयी हैं और न ही शासन को वापस की गयी। जो निम्न प्रकार से थी।

क्रम.स.	कार्य का नाम/मद का नाम	रा श	कब से
1	प्रतिकर	900000	7/2007
2	प्रतिकर पैगा गुरुद्वारा मछुडारा मार्ग	3850	8/2007
3	प्रतिकर खमरिया नरखेड़ा मार्ग	127400	3/2008
4	प्रतिकर बरहेली चन्द्रपुरा मार्ग	271922	7/2008
5	प्रतिकर बाजपुर बेरिया दौलत रंपुराकाजी	146833	7/2008
	कुल	**14,50,005**	

इस संबंध मे इं गत कए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया क काश्तकारों द्वारा प्रतिकर द्वारा प्रतिकर की धनरा श की मांग नही की हैं या लेने से इंकार कया हैं तो उक्त धनरा श को शासन को वापस कर देनी चाहिए थी।

अतः 10 वर्षो से अ धक का समय व्यतीत होने के पश्चात भी ` 14.50 लाख की धनरा श शासन को समर्पण नही कए जाने का प्रकरण सज्ञान मे लाया जाता हैं।

<u>भाग-**III**</u>

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
39/96-97	1	2,3
68/97-98	1	-
34/98-99	-	2,3
50/99-2000	-	2,3
59/2000-01	1,2	-
08/2008-09	2,3	-
07/2009-10	3	-
79/2014-15	-	-
103/2015-16	1	-
98/2016-17	1	1

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई द्वारा अनिस्तारित प्रस्तरों का उत्तरालेख उच्चा धकारियों से अनुमोदनोपरान्त महालेखाकार कार्यालय को प्रे षत कया जायेगा अवगत कराया गया।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, काशीपुर तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	इं. यू.सी. बहुगुणा	अ धशासी अ भयन्ता (03/09/15 से अब तक)

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

(i) श्री दीवान संह तोमक्याल दिनांक 01/08/2016 से अब तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, काशीपुर को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक खण्ड-II